कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर

क्रमांक :– जिशिअ / प्राशि / एमडीएम / 2021 / 12 दिनांक :–14.05.21

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी /
पंचायत प्रा.शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला श्रीगंगानगर।

विषय :– कोविड–19 के अन्तर्गत ग्रीष्मावकाश में खाद्यान्न (गेहूं / चावल) एवं कॉम्बों पैकेट वितरण के संबंद्य में।

प्रसंग :– श्रीमान आयुक्त, मिड–डे–मील कार्यक्रम जयपुर के पत्रांक एफ 4 (142) प्रा. शि / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ.वि.आ. / पार्ट / 2020–21 / स्पे. 2 दिनांक 11.05.2021 एवं श्रीमान अति. जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के आदेश एफ 17 (1)() न्याय / कोविड–19 / 2021 / 4935 दिनांक 14.05.21।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि मिड–डे–मील योजनान्तर्गत कोविड–19 की अवधि में विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावकों को खाद्यान्न (गेहूं / चावल) एवं खाद्य सुरक्षा भते के रूप में कॉम्बों पैकिट का वितरण किया जा रहा था। इसी निरन्तरता में विभागीय आदेश संख्या 851 / 31.03.21 द्वारा कॉनफैड को द्वितीय चरण की अवद्यि (जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक) के लिए कॉम्बों पैकेट की विद्यालयों तक डोर स्टेप डिलवरी किये जाने हेतु क्रय आदेश जारी किये गये है। इसके अतिरिक्त वितीय वर्ष 2021–22 के प्रथम त्रैमास के लिये आवंटित खाद्यान्न (गेहूं / चावल) का भी उठाव कर विद्यालयों में वितरण किया जाना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SUO Motu Writ Petition (Civil) no. 2 of 2020 in the matter of regarding clousure of mid day meal scheme के अन्तर्गत विद्यार्थियों को (अभिभावको के माध्यम से) खाद्यान्न वितरण के निर्देश प्रसारित किये गये है। इसी क्रम में कोविड 19 के दौरान विद्यालय बन्द रहने की स्थिति में विद्यार्थियों (अभिभावको के माध्यम से) को खाद्य सुरक्षा भते के रूप में खाद्यान्न (गेहूं / चावल) तथा कॉम्बों पैकिट (दाल,तेल, मसाले) का वितरण किया जा रहा है।

अतः उक्तानुसार आपकों निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ संबंधित विद्यालयों के संस्था प्रद्यानों को निर्देशित करें कि कॉनफैड के कार्मिकों द्वारा सम्पर्क करने पर उनसे कॉम्बों पैकिट प्राप्त कर कोविड 19 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंस रखते हुये कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में जारी गाईडलाईन की पालना करते हुए अभिभावकों को कॉम्बो पैकिट एवं खाद्यान्न (जनवरी 21 से मार्च 21 तक का) वितरण करना सुनिश्चित करें।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वितीय वर्ष 2021–22 के प्रथम त्रैमास के लिये आवंटित खाद्यान्न (गेहूं / चावल) का उठाव 24.05.2021 से पूर्व कर विद्यालयों में वितरण करवाकर अभिभावकों को वितरण करवाना सुनिचित करें।

संलग्न :– प्रासंगिक पत्र

(डालचन्द मनारिया)
जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
प्रा.शिक्षा, श्रीगंगानगर

क्रमांक :– जिशिअ / प्राशि / एमडीएम / 2021 / दिनांक :–

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान आयुक्त, मिड–डे–मील कार्यक्रय जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
3. प्रबंध संचालन राजस्थान राज्य सहकारी संघ लि. जयपुर।
4. श्रीमान जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
प्रा.शिक्षा, श्रीगंगानगर

D/Off/Talwar ltr

www.rajteachers.com

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

क्रमांक : एफ17(1)( )न्याय / कोविड–19 / 2021 / 4936 दिनांक : 14.05.2021

— : आदेश : —

गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश पत्रांक प.7(1)गृह–7 / 2021 जयपुर दिनांक 30.04.2021 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसरण में मिड–डे–मील योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावकों को खाद्यान्न (गेहूं / चावल) एवं खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में कॉम्बो पैकेट के वितरण हेतु जिला श्रीगंगानगर के समस्त राजकीय विद्यालयों को दिनांक 24.05.2021 तक प्रातः 11:00 बजे तक सम्बन्धित विद्यालय के दो अध्यापकों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। विद्यालय में केवल मिड–डे–मील से सम्बन्धित कार्य किया जायेगा, अन्य कार्य बन्द रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर अपने स्तर पर संस्था प्रधान को दिशा–निर्देश जारी कर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।

कार्यालयध्यक्ष द्वारा कार्यालय में कोविड–19 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना की जानी अनिवार्य होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(भवानी सिंह पंवार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

क्रमांक : एफ17(1)( )न्याय / कोविड–19 / 2021 / 4936 दिनांक : 14.05.2021

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राज. जयपुर।
2. आयुक्त, मिड–डे–मील, प्रशासनिक भवन, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जेएनएनमार्ग, जयपुर। . जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर।
6. उपखण्ड अधिकारी, ... (समस्त)।
7. जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020–21/स्पे. 2 दिनांकः–11.05.2021

समस्त जिला कलेक्टर्स

जिला......समस्त

विषयः–कोविड–19 के अन्तर्गत ग्रीष्मावकाश में खाद्यान्न (गेहू/चावल) एवं कॉम्बो पैकेट वितरण के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–गृह विभाग,राज सरकार के पत्र संख्या प.7 (1) गृह–7/2021 जयपुर दिनांक 11.05.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि मिड–डे मील योजनान्तर्गत कोविड–19 की अवधि में विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को खाद्यान्न (गेहूं/चावल) एवं खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में कॉम्बो पैकेट का वितरण किया जा रहा था। इसी निरन्तरता में विभागीय आदेश संख्या 851 दिनांक 31 मार्च, 2021 द्वारा कॉनफैड को द्वितीय चरण की अवधि (जुलाई, 2020 से मार्च, 2021) के लिये कॉम्बो पैकेट की विद्यालयों तक डोर स्टेप डिलीवरी किये जाने हेतु क्रय आदेश जारी किये गये है। वित्त वर्ष 2021–22 के प्रथम त्रैमास के लिये आवंटित खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का भी 31 मई, 2021 से पूर्व भारतीय खाद्य निगम के गौदामों से उठाव कर विद्यालयों में वितरण किया जाना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SUO MOTU WRIT PETITTION (CIVIL) NO.2 OF 2020 IN THE MATTER OF REGARDING CLOUSURE OF MID DAY MEAL SCHEME के अन्तर्गत विद्यार्थियों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश प्रसारित किये गये है। इसी क्रम में कोविड 19 के दौरान विद्यालय बन्द रहने की स्थिति में विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में गेहू/चावल तथा कॉम्बो पैकेट (दाल,तेल,मसालों) का वितरण किया जा रहा है।

इस अवधि के लिये खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में कॉम्बो पैकेट विद्यालयों में वितरण करने एवं खाद्य विभाग के अधिकृत परिवहन ठेकेदारों के द्वारा खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के सम्बन्ध में गृह विभाग,राजस्थान से निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया :–

1.जिलों में विद्यालयों में उक्त कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति के लिये कॉनफैड के अधिकृत परिवहनकर्ताओं एवं वाहनों के जिले में आवागमन ।

2.खाद्य विभाग के परिवहन कर्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गौदामों से खाद्यान्न का उठाव कर विद्यालयों तक आपूर्ति।

3.विद्यालयों में कार्मिकों को उपस्थित होकर कॉम्बो पैकेट प्राप्त करने तथा विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को खाद्यान्न एवं कॉम्बो पैकेट वितरण ।

इस सम्बन्ध में गृह विभाग,राजस्थान सरकार के ग्रुप–7 के प्रासंगिक पत्र द्वारा बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने हेतु

पता :– प्रशासनिक भवन, डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,जे.एल.एन मार्ग, जयपुर, सम्पर्क –0141–2701694, 2707166, 2701960
ई–मेल mdm-rj@nic.in

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

आदेश संख्या 30.04.2021 (बिन्दु संख्या 14) एवं 06.05.2021 (बिन्दु संख्या h) में राज्य एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति को अनुमत है। बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 30.04.2021 के "कार्यालयों के सम्बन्ध में अनुमति" शीर्षक के बिन्दु संख्या 4 में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

अतः कॉनफैड द्वारा जिले में विद्यालयों में उक्त कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति के लिये कॉनफैड के परिवहनकर्ताओं एवं वाहनों को जिले में आवागमन (विद्यालयों तक आपूर्ति) हेतु नहीं रोका जाये तथा विद्यालयों में कार्मिकों को कॉम्बो पैकेट प्राप्त करने तथा विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को खाद्यान्न एव कॉम्बो पैकेट वितरण हेतु विद्यालय उपस्थित होने हेतु अनुमति दी जाये। जिससे पात्र विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को शीघ्र पोषण युक्त सूखी राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति की निरन्तरता सुनिश्चत करने के लिये कॉनफैड द्वारा आपूर्ति किये गये कॉम्बो पैकेट के बिलों का भुगतान शीघ्र करवाने का श्रम करें।

भवदीय

(डॉ.भंवर लाल)
आयुक्त
मिड–डे मील

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020–21/स्पे. 2 दिनांकः–11.05.2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.संयुक्त शासन सचिव,पुलिस, गृह विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
2.निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3.प्रबन्ध संचालक,राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड,जयपुर को निर्देशित है कि कॉम्बो पैकेट की विद्यालयों तक डोर स्टेप डिलीवरी कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुये की जाये।
4.समस्त जिला रसद अधिकारी।
5.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय,प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित संस्थाप्रधानों को कॉम्बो पैकेट प्राप्त कर कोविड 19 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंस रखते हुये कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करते हुये वितरण करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
6.रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
मिड–डे मील

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक : प.7(1)गृह–7 / 2021 जयपुर, दिनांक : 11.05.2021

आयुक्त, मिड–डे मील
जयपुर। (mdm-rj@nic.in)

विषय :– कोविड–19 के अन्तर्गत ग्रीष्मावकाश में मिड–डे मील योजना अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के क्रम में।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक एफ.4(142)प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफसीआई / खाद्यान्न उ. वि.आ. / पार्ट / 2020–21 / स्प्रे.1 दिनांक 10.05.2021

महोदय,

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत कोविड–19 के अन्तर्गत आप द्वारा ग्रीष्मावकाश में मिड–डे मील योजना अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के क्रम में समय पर पोषणयुक्त खाद्य सामग्री वितरण के लिये जिला कलक्टर्स को निम्नलिखित कार्य हेतु अनुमति हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने हेतु कहा गया है :–

1. जिलों में विद्यालयों में दाल, तेल, मसालों के कॉम्बो पैकेट एवं गेहूं की आपूर्ति के लिये कॉनफैड के अधिकृत परिवहनकत्ताओं एवं वाहनों के जिले में आवागमन।
2. खाद्य विभाग के परिवहनकर्त्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गौदामों से खाद्यान्न का उठाव कर विद्यालयों तक आपूर्ति।
3. विद्यालयों में कार्मिकों को उपस्थित होकर कॉम्बो पैकेट प्राप्त करने तथा विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावकों को खाद्यान्न एवं कॉम्बो पैकेट वितरण।

उक्त संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2021 (बिन्दु संख्या 14) एवं 06.05.2021 (बिन्दु संख्या h) में उक्त प्रथम एवं द्वितीय बिन्दु के संबंध में अन्तर राज्य एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति को अनुमत किया हुआ है।

बिन्दु संख्या 3 के संबंध में लेख है कि आदेश दिनांक 30.04.2021 के **"कार्यालयों के सम्बध में अनुमति"** शीर्षक के बिन्दु संख्या 4 में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट की अनुमति से राजकीय कार्यालय खोला जा सकता है।

भवदीय,

11/05/2021

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

जिला कलक्टर (समस्त) को सूचनार्थ

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

www.rajteachers.com

Scanned with CamScanner